(b) To reduce the prevalance of malnutrition in the couatry apart from such long term measures like, making available essential food items at subsidised cost trough Public Distribtion system; Improving the purchasing power of the people through Income Generating Schemes; certain other intervention programmes have also been launched by the Government which include the scheme ot Integrated Child Development Services (ICDS), Balwadi Nutrition Programme, Mid Day Meals Programme for school children, Nutritional Anaemia Prophylaxie Programme, Goitre Control Programme and Programme for Prevention of Nutritional Blindness due to Vitamin A efficiency, as well as Nutrition Education Programme. The National Nutrition Policy has also, been adopted recently with a view to tackle the problem of nutrition both through direct nutrition interventions for special vulnerable groups as well as through various development policy instruments which will create conditions for improved nutrition.

महिला स्वैष्टिक संगठनों को विसीय ऋण

6986. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन क्रीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री मह बताने की कृषा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने गरीब और ग्रात्मनिर्भर महिलात्रों को ग्रमहाय बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए राष्ट्रीय महिला कोष से विसीय ऋण देने दु देश में कुछ स्वैच्छिक संगठनों का वयन किया है :
- (ख) मदि हां, तो क्या सरकार ने लच् भ्रोर कुटीर उद्योगों संबंधी कार्यक्रमों हे**त** इन स्वैच्छिक महिला संगठनों को वित्तीय ऋण प्रदान करने का निर्णय किया है ;
- (ग) इन संगठनों को दिए नाने वाले दिलीय ऋषों का इन संस्थाओं के नाम महित राज्य-बार न्वीरा क्या है ग्रीर ग्रह्मा-बंधि और मध्याविधि ऋग प्रदान करने हेत् राष्ट्रीय महिला कोचं डारा नया नियम वनाए गए हैं ; श्रीर

(घ) यत वर्ष के दौरान**ः सरकार** ने राष्ट्रीय महिला कोष को कितना ऋण ग्राबंटित किया ग्रीर दर्ध 1994-95 हेतु कितनाधन उपलब्ध कराया गयाहै?

मानव संसाधन विकास मंद्रालय में (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवाराजश्वरी) : (क) जी, हां। सरकार ने एक राख्टीय महिला कोष स्थापित किया है जो अनी-पचारिक क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं की ऋण प्रदान करने हेत् स्वैच्छिक सगठनों को ऋष उपलब्ध कराएगा।

- (ख) ये ऋण अनौपचारिक क्षेत्रों और आयोत्पादक कार्यकलाप शुरू करने हेतु निर्धन महिलाओं को उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (ग) इस संबंध में राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा निर्धारित दिशा-निद्दशों 👚 विस्तत ब्यौरा संलग्न विवरण- में विधा गया है । वर्ष 1993-94 के दौरान जिम सगठनों को ऋण सुविधायें स्वीकृत की गई, उनका राज्य-बार क्यौरासलाम विवरण-2 में दिया गया है (नीचे देखिए)
- (घ) राष्ट्रीय महिला कोष को वर्ष 1992-93 के दौरान इसकी स्थापना-के समय 31 करोड़ रुपए की कोरपस निधि उपलब्ध कराई गई की। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 दोनों वर्षो दौरान एक लाख रुपए की योजना प्रावधान रखागया था।

विवरण -1

राष्ट्रीय महिला कोष के दिशा-निर्वेशों का विस्तृत व्यौरा

राष्ट्रीय महिला कोष, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को गैरें-सरकारी समठनों, स्व-सहायता दलों, महिला ऋण-सहकारिताओं तथा महिला विकास निगमों के मार्फत ऋण सुविधान प्रदान करेगा।

पावता मापदंड :

पाञ्च निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए कोष से ग्रत्याविध तथा मध्याविध ऋण प्राप्त करने के लिए ऐसे गैर-सरकारी सगडन/महिला ऋथ सहकारिताएं /महिला विकास निगम आदि पात होंगे जो आधिक दण्टि ने सम्पन्न हो तथा जिन्हें मितव्यवता श्रीर ऋग प्रशासन का कम में कम तीन वर्षका प्रत्भव हो ।

वास्तविक ऋण प्राप्तकर्ता :

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी महिला ऋण प्राप्तकर्ता, जिनकी पारिवारिक प्राय 17,000/- रुपए प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में रहते वाली ऐसी महिला प्राप्तकर्ता, जिनकी पारिवारिक 11,000/- इत्ए प्रति वर्ष से अधिक न हो, स्कीम के अंतर्गत सहामता प्राप्त करने की हकदार हैं।

ऋण की अवधि :

मध्यावधि ऋण 3-5 वर्ष की अविध मं तथा अल्पावधि ऋण 15-18 माह की अवधि के भीतर वापस करने होते हैं।

ऋण की प्रधिकतम सीमा प्रल्पावधि ऋण के मामले में 2500/- रुपए तथा मध्यावित ऋण के मामले में 5000/-रुपए से अधिक नहीं होगी।

राष्ट्रीय महिला कोच द्वारा मध्यस्य संगठनों को श्रन्याविधि तथा मध्याविध दोनों किम्म का ऋण स्थाज की 8 प्रतिशत बार्षिक दर पर दिया जाएगा। दास्तविक ऋण प्राप्त-कर्ता से श्रधिकतम 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा।

a = 10 - 2

(लाख रुपए में)

क्र गैर सरकारी संगठन का ना म	ऋण प्राप्तकर्ताम्रों की संख्या (अनुमानित)	संस्वीकृत ऋण सीमा	
1 2	3	4	
त्रांभ्र प्रदेश:	· ·		
 ग्रार. ए. एस. एस., निरुपति, आंध्र प्रदेश 	700	7.35	
 यूथ फार एक्जन, हैदराकाद, आध्र प्रदेश 	1800	40.99	
 प्रजा णिक्त विद्यासंगम. कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश 	220	3.96	
4. ग्रामा सिरी, गूंटूर, ग्रांध्र प्रदेश	1528	24.79	
 सोशियल एक्शन फार इंटेग्नेटिङ डिवेल्पमेंट (एस. ए. ग्राई. डी.) तिरूपति, ग्रांध्र प्रदेण । 	617	6.50	
 सैंटर फार रूरल रिकन्सट्रकश्चन ध्रु सोणिय एकश्चन (सी. ग्रान. ई. एस. ए.) वेस्ट गोदावरी, ग्रांध्य प्रदेश 	ন 1650	13. 09	
7. विशाखा जिला नवनिर्माण समिति, (वी. जे. ए एस.) विशाखापटनम, आध्र प्रदेश	हत. 616	7.42	

i 2		3	4
बिहार :		· ·	
8. ग्रदिथि, पटना, बिहार	ι,,,,	2590	17.00
भर्माटद :			
9. ग्रामा, चि त्रदु र्ग (कर्नाटक		420	10.00
19. स्रोर्गेनाइजेशन फॉर डिवे डी. पी.) मैसूर, कन केरेस:		600	15.00
11. विवेन्द्रम डिस्ट्क्ट फिशर	भैन फैडरेशन विवेन्द्रम,		
केरल । .		I 600	21.00
12. द डेलवियू, तिरुवंतपुरम,	केरल ।	1000	11.72
महाराष्ट्र :			
13. ग्रन्नपूर्णा महिला संडल,	बम्बई, महाराष्ट्र .	1575	39.00
14 एस.पी.ए. ग्रार. सी.	बम्बई, महाराष्ट्र .	2000	31,50
15. रानी लक्ष्मीबाई महिला	मंडल, महाराष्ट्रः .	220	5.40
मध्य प्रदेश :			
16. एस. ई. डब्ल्यू. ए. १ डड़ीसाः	भोपाल, मध्य प्रदेश .	1050	9.00
17. दरिद्र नारायण सेवा संस्थ	गन, बालासौर, उड़ीसा ।	580	6.39
जिला–पुरी, उड़ीसा ।	मेति (जे. एम. एस.) 	200	4.50
तमिलनाडू ुः			
19. ए. एस. एस. ई.ई. ए.	•	3590	65.25
20 वर्किंग वीमैंन फोर्म, मदास,	तमिलनाहु .	19,359	40.00
21. सेन्टर फॉर सोमल सर्विक एस. ग्रार.), डिझीगुल,		310	7.00
22. मैयर ट्रस्ट, मदुरई, तमिल	ाना ड्	1330	7.93
उत्तर प्रदेश :			
23. श्रमिक भारती, कानपुर, । पश्चिम बंगाल :	उत्तर प्रदेश । .	700	15.75
24. मास एजूकेश्वन, कलकत्ता,	पश्चिम बंगाल । .	2000	30.00